

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक :- एफ.वी.9(1)(3)स्था/ब/सं.ब./पार्ट-1/

दिनांक

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं में परीवीक्षाधीन अवधि में कार्यरत पशुधन सहायकों को 2 वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं 2 वर्ष की अवधि में इनके कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक रहने की संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित कर्मियों की नियुक्ति को इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से नियमित करते हुये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूचि (V) एवं नोटिफिकेशन नं. एफ.डी.(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.20013 के अन्तर्गत वेतन बैण्ड 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800 एवं अन्य देय भत्ते आहरित किये जाने की नियमानुसार स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी एवं पदस्थापन	पदस्थापन स्थान	नियुक्ति आदेश संख्या व दिनांक	कार्यग्रहण तिथि	नियमित करण तिथि
1	श्री रमनलाल पशुधन सहायक	प्र.श्रे.प.चि. चौहटन, बाडमेर	1508-3308/03.10.2013	10.10.2013	10.10.2015
3	श्रीमती भारती चौधरी, पशुधन सहायक	उप0डोडियाना, नागौर	1508-3308/03.10.2013	08.10.2013	08.10.2015

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 815-20 दिनांक 06.12.2016 के क्रम संख्या 46 प अंकित श्री राजेन्द्र कुमार मीणा , प.चि आमल्दा, भीलवाडा का नाम संशोधित कर राजेन्द्र प्रसाद मीणा किय जाता है।

उपरोक्त कर्मचारियों को स्वीकृत रनिंग पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से उक्त वर्णित प्रावधानानुसार वेतन निर्धारण करेंगे।

(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी.9(1)(3)स्था/ब/सं.ब./पार्ट-1/ 1452-56

दिनांक 27/07/17

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्यलेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. संबंधित अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, ।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, /उप निदेशक को भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारियों को अपने स्तर से प्रति उपलब्ध करावें।
4. कोषाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी।
5. प्रभारी स्थापन-ब निदेशालय, पशुपालन विभाग।
6. रक्षित पंजिका।
7. कर्मचारी शारदा।

अति० निदेशक (उत्पादन)